न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

उपस्थितः—शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

JO Code No-UP5743

सत्र परीक्षण संख्या—657/2012

कम्प्यूटर पंजीयन सं0—2400657/2012

UPLP010032252012

राज्य

प्रति

1. सज्जाद पुत्र नुरमोहम्मद निवासी बंगलापुरवा, मजरा रामपुर ग्रन्ट, थाना पसगवां, जिला खीरी।

2. रिजवान पुत्र अल्ताफ निवासी बंगलापुरवा, मजरा रामपुर ग्रन्ट, थाना पसगवां, जिला खीरी।

मुकदमा अपराध संख्या—2313/2011

धारा—120बी, 376, 504, 506 भा0दं0सं0

थाना—पसगवां, जिला—लखीमपुर खीरी।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता—श्री अरविन्द त्रिपाठी

विद्वान बचाव पक्ष अधिवक्ता—श्री रमेश चन्द्र मिश्रा,

घटना की तिथि—04.11.2011 समय करीब 08:00 बजे सुबह

सत्र सुपुर्द की तिथि—09.10.2012

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की तिथि—13.11.2011

आरोप विरचित किये जाने की तिथि—02.04.2014

अभियोजन साक्ष्य अंकित किये जाने की तिथि—04.04.2014 से 01.05.2026

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये जाने की तिथि—27.10.2025 व अतिरिक्तन अन्तर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 दिनॉक—07.05.2026

बचाव साक्ष्य अंकित किये जाने की तिथि—18.05.2026

बहस की तिथि—01.06.2026 व 04.06.2026

निर्णय की तिथि—10.06.2026

<u>निर्णय</u>

1— अभियुक्तगण सज्जाद तथा रिजवान का विचारण मुकदमा अपराध सं0—2313/2011, अन्तर्गत धारा 120बी, 376, 504, 506 भारतीय दण्ड

संहिता, थाना पसगवां, जनपद लखीमपुर–खीरी के मामले में प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओमप्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए.आई.आर 2006 (एस.सी) 2214** में माननीय न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के प्रकाश में इस निर्णय में मामले की पीड़िता का नाम वर्णित नहीं किया जा रहा है, बल्कि निर्णय में उसे **''पीड़िता''** के नाम से संबोधित किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः–

3– अभियोजन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शराफत पुत्र सद्धा निवासी बंगला मजरा रामपुर ग्रन्ट, थाना पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी द्वारा संबंधित थाने पर दिनॉक–05.11.2011 को लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि कल दिनॉक–04.11.2011, की सुबह करीब 08:00 बजे उसकी 12 वर्षीय लड़की/पीड़िता घर के बाहर झाडू लगा रही थी, वहीं सज्जाद पुत्र नूर मोहम्मद, रिजवान पुत्र अल्ताफ निवासीगण बंगला, उम्र करीब 22 वर्ष दोनों आ गये और गाली–गलौज कर उसकी लड़की को जबरदस्ती पकड़ लिया और गुण्डागर्दी कर उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगे, जब उसकी लड़की ने शोर मचाया तो वहीं पड़ोस की दो महिलाएँ आ गयी, जिन्होने उसकी लड़की को छुड़ाया। उपरोक्त दोनों जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। ये लोग गुण्डा प्रकृति के इन्सान है, इन लोगों से उसे जान–माल का खतरा है। उक्त आधारों पर वादी द्वारा सूचना लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी थी।

4– वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना पसगवां, जिला लखीमपुर खीरी में मु०अ०सं०–2313 सन् 2011, धारा–354, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दिनांक–05.11.2011 को समय 13:15 बजे अभियुक्तगण सज्जाद व रिजवान के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–161 व 164 द0प्र0सं0 के आधार पर मामला में धारा–354 भा0द0सं0 का लोप करते हुये धारा–120बी व 376 भा0द0सं0 की वृद्धि की गयी। तमामी विवेचना, बयानात गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल एवं संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण सज्जाद तथा रिजवान के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–11 अंतर्गत धारा–376, 120बी, 504, 506 भा०दं०सं० न्यायालय में प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् अभियुक्तगण के न्यायालय में हाजिर होने पर इस सत्र परीक्षण की कार्यवाही आरंभ की गई।

<u>सुपुर्दगी आदेश–</u>

5– तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर–खीरी ने सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 09.10.2012 में अभियुक्तगण को धारा 207 द0प्र0सं0 के अधीन आवश्यक प्रपत्रों की प्रतियॉ प्रदान कराये जाने का उल्लेख करते हुये मामला अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण, सत्र सुपुर्द किया गया।

<u>आरोप–</u>

6– तत्कालीन विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी ने दिनांक 02.04.2014, को अभियुक्तगण सज्जाद एवं रिजवान के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–120बी, 376, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता विरचित किया था तथा अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया था, तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करते हुये विचारण की मांग की थी।

<u>अभियोजन के मौखिक साक्षीगणः–</u>

7– अभियोजन पक्ष ने अपने कथानक के समर्थन में मौखिक साक्षी के रूप में निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

साक्षी संख्या	**साक्षी का नाम**	**साक्षी का प्रकार**
पी0डब्लू0–1	शराफत	वादी मुकदमा
पी0डब्लू0–2	डा0 पुष्पलता	पीड़िता की चिकित्सीय आख्या व पूरक चिकित्सीय आख्या तैयार करने वाली औपचारिक साक्षी
पी0डब्लू0–3	पीड़िता	वादी की पुत्री/पीड़िता
पी0डब्लू0–4	डा0 वी0के0 वर्मा	पीड़िता की एक्स–रे रिपोर्ट तैयार करने वाला औपचारिक साक्षी
पी0डब्लू0–5	मुमताज अहमद	चिक एफ0आई0आर0 व जी0डी0 तैयार करने वाला औपचारिक साक्षी
पी0डब्लू0–6	उपनिरीक्षक सुनील कुमार	मामले की विवेचक
पी0डब्लू0–7	निरीक्षक जितेन्द्र प्राप सिंह	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट साबित करने वाला औपचारिक साक्षी
पी0डब्लू0–8	आबरीना उर्फ शहनाज	तथ्य की चश्मदीद साक्षी
पी0डब्लू0–9	कमरजहॉ	तथ्य की चश्मदीद साक्षी

अन्य कोई मौखिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

<u>अभियोजन के दस्तावेजी साक्ष्यः–</u>

8– अभियोजन ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की हैं–

प्रदर्श संख्या	प्रपत्र का नाम	किसने साबित किया
प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर वादी	पी0डब्लू0–1
प्रदर्श क–2	फर्द कब्जा लेने पीड़िता के कपड़े	पी0डब्लू0–6
प्रदर्श क–3	पीड़िता की चिकित्सीय आख्या	पी0डब्लू0–2
प्रदर्श क–4	पूरक चिकित्सीय आख्या	पी0डब्लू0–2
प्रदर्श क–5	बयान प्रपत्र धारा–164 द0प्र0सं0	पी0डब्लू0–3
प्रदर्श क–6	एक्स–रे रिपोर्ट	पी0डब्लू0–4
प्रदर्श क–7	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0डब्लू0–5
प्रदर्श क–8	कायमी जी0डी0	पी0डब्लू0–5
प्रदर्श क–9	नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–6
प्रदर्श क–10	नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–6
प्रदर्श क–11	आरोप–पत्र	पी0डब्लू0–6
प्रदर्श क–12	विधि विज्ञान प्रयोगशाला	पी0डब्लू0–7

<u>**अभियुक्तगण की परीक्षाः**</u>–

9– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण सज्जाद तथा रिजवान के बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 दिनांक 27.10.2025, को अभिलिखित किया गया, जिसमें उन्होने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुये अभियोजन साक्षीगण द्वारा गलत बयान दिये जाने व रंजिशन फंसाये जाने का कथन करते हुए कहा है कि चुनावी रंजिश थी, घटना से पहले थी। इसी रंजिश के कारण उनको झूठी, फर्जी घटना दिखाकर एफ0आई0आर0 की गयी थी, इसीलिए शराफत व पीड़िता ने अदालत में झूठा बयान दिया है। इसके अतिरिक्त दिनॉक–07.05.2026, को अभियुक्तगण के अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 अंकित किये गये।

<u>**सफाई साक्ष्य–**</u>

10– अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य में डी0डब्लू0–1 अशफाक को परीक्षित कराया है तथा कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

11– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आर0सी0 मिश्रा एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' श्री अरविन्द त्रिपाठी के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया।

<u>**अभियोजन का मौखिक साक्ष्य–**</u>

12– अभियोजन साक्षी सं0–1 शराफत ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनॉकित–04.04.2014, में सशपथ कथन किया है कि पीड़िता उसकी लड़की है, सज्जाद एवं रिजवान दोनों उसके गॉव के रहने वाले हैं। आज से लगभग

सवा दो साल पहले सुबह 08:00 बजे ये दोनों सज्जाद एवं रिजवान उसकी लड़की, जो सहन में गोबर पाथ रही थी, वहीं से उठाकर ले गये, उस समय उसकी लड़की बारह साल की थी। उसकी लड़की आधा घण्टा बाद वापस आयी थी तब उसने बताया था कि सज्जाद एवं रिजवान ने उसके साथ बुरा काम किया। इसकी सूचना उसने प्रभारी चौकी उचौलिया में दूसरे दिन दी थी। तहरीर उसने चौकी के बाहर एक व्यक्ति, जो दरखास्त लिखता है, से लिखायी थी। गवाह को तहरीर कागज सं0–क6 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि यही तहरीर उसने लिखायी थी, जो उसने बोला था, उसने वही लिखा था, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। तहरीर में उसने अपनी लड़की के साथ बुरा काम करने वाली बात नहीं लिखायी थी सिर्फ छेड़छाड़ करने वाली बात लिखायी थी, क्योंकि शर्म लिहाज के कारण तथा लड़की की इज्जत की वजह से उसके साथ बुरा काम करने वाली बात नहीं लिखायी थी। बाद में दरोगा जी आये थे, जिन्होने उसकी लड़की की सलवार, कुर्ता कब्जे में लिया था। सीलमुहर कपड़े में रखकर किया था तथा फर्द रामचन्द्र एवं अखिलेश के सामने बनायी थी, पढ़कर सुनाया था। उसका व उसकी लड़की का अंगूँठा लगवाया था, बाकी के दस्तखत कराये थे। गवाह को कागज सं0–क9 फर्द बाबत लेने कपड़े पढ़कर सुनायी गयी तो गवाह ने कहा यही दरोगाजी ने लिखी थी, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

13– अभियोजन साक्षी सं0–2डा0 पुष्पलता ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनॉकित–21.04.2018 में सशपथ कथन किया है कि दिनॉक–05.11.2011, को वह वरिष्ठ परामर्शदाता जिला महिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी में कार्यरत थी। उसी दिन पीड़िता को महिला कॉ0 246 शारदा भदौरिया महिला थाना समय 08:00 पी0एम0 पर लेकर आयी थी व शिनाख्त की थी, जिसके शरीर पर पहचान चिन्ह में दाहिने कंधे पर काले तिल का निशान था, जिसके वाह्य परीक्षण में लम्बाई 152 सेमी0, वजन 32 किलोग्राम, दॉत 14/14, स्तर पूरी तरह विकसित थे तथा बगल व जननांगों पर बाल मौजूद थे, जिसके बाहरी अंगों में कोई चोट के निशान नहीं थे। आंतरिक परीक्षण में योनि में दो उंगली आसानी से जा रही थी, जिसका हाइमन पुराना फटा व भरा हुआ था, जिसके कोई भी रक्तश्राव मौजूद नहीं था। बच्चेदानी नार्मल साइज की थी, जिसका वैजाइनल स्लाइड तैयार करके पैथालॉजी भेजा गया तथा दाहिने घुटने, दाहिनी कलाई व दाहिनी कोहिनी का एक्स–रे हेतु भेजा गया। चिकित्सीय आख्या शामिल पत्रावली है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर पीड़िता का निशानी अंगूँठा उसके द्वारा प्रमाणित है, जिस पर प्रदर्श

क–3 डाला गया। पूरक आख्या दिनॉक–11.11.11 को पैथालॉजी व एक्स–रे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तैयार की थी। पैथालॉजी रिपोर्ट के आधार पर कोई भी जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाए गये। एक्स–रे रिपोर्ट में दाहिनी कलाई, दाहिनी घुटना की एपीफाईसिस अपनी संबंधित हड्डियों से जुड़ी नहीं पायी गयी। दाहिनी कोहिनी की एपीफाईसिस अपनी संबंधित हड्डियों से आंशिक रूप से जुड़े हुये थे, जिसमें एक तरफ मीडिएल काइन्डल ऑफ ह्यूमरेस नहीं जुड़े थे। पीड़िता की रेडियोलॉजिक आयु लगभग 15 वर्ष है। बलात्कार के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। पूरक आख्या पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

14– अभियोजन साक्षी सं0–3 पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनॉकित–16.05.2018 में सशपथ कथन किया है कि, घटना आज से साढ़े छः वर्ष पूर्व सुबह 08:00 बजे की है। उस समय वह गॉव के बाहर कण्डा पाथने के लिए गोबर लेकर जा रही थी। उस समय कोहरा पड़ रहा था। उसी समय गॉव के दो लड़के सज्जाद और रिजवान आ गए तभी कोहरे का फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया और सज्जाद ने उसके साथ बलात्कार किया। सज्जाद ने जबरदस्ती उसकी सलवार खोलकर उसने अपनी पेशाब की नली उसकी पेशाब की जगह घुसेड़ दिया तथा रिजवान गॉव के आने–जाने वालों की निगरानी कर रहे थे। उसके बाद रिजवान ने उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया और सज्जाद तकवाही कर रहा था और सज्जाद व रिजवान गंदी–गंदी गालियॉ व जान से मार देने की धमकी दे रहे थे, कहा कि शोर मचाओगी तो जान से मार देंगे तभी गॉव के अबरीना व मसंदी आ गए तो मुल्जिमान जान से मार देने की धमकी देते हुये भाग गए थे। उसने माता–पिता को सारी बाते बतायी थी। उसे उचौलिया चौकी ले गए थे, जहॉ रिपोर्ट लिखायी थी। घटना के समय उसकी उम्र 14 वर्ष थी। दरोगा जी उसे महिला चिकित्सालय ले गये थे, जहॉ उसका परीक्षण हुआ था। फिर उसे महिला कॉ0 के साथ अदालत लाये थे और उसका बयान हुआ था। धारा–164 द0प्र0सं0 का बयान शामिल पत्रावली साक्षी को पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया था, इस पर उसके दस्तखत हैं व फोटो लगी है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। उसने मजिस्ट्रेट व दरोगा जी को रिजवान के द्वारा भी बलात्कार करने की बात बतायी थी। हाजिर अदालत मुल्जिम को साक्षी ने देखकर कहा कि सज्जाद व रिजवान न्यायालय में उपस्थित हैं, इन्होने ही उसके साथ बारी–बारी से बुरा काम किया था।

15— अभियोजन साक्षी सं0—4 डा0 वी0के0 वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनॉकित—15.07.2019 में सशपथ कथन किया है कि दिनॉक—07.11.2011 को वह वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट के पद पर जिला चिकित्सालय खीरी में कार्यरत था। उस दिन पीड़िता को महिला कॉ0 246 शारदा भदौरिया महिला थाना लखीमपुर एक्स—रे हेतु उसके पास लायी थी व पहचान की थी तथा जिसे ई0एम0ओ0 जिला महिला चिकित्सालय खीरी ने एक्स—रे हेतु संदर्भित किया था। पीड़िता की दाहिनी कलाई, दाहिना घुटना व दाहिनी कोहिनी के जोड़ों के एक्स—रे उसने अपनी देख—रेख में एक्स—रे टेक्नीशियन से प्लेट सं0—2792 पर करवाया था। एक्स—रे प्लेट के अनुसार पीड़िता की दाहिनी कलाई और दाहिना घुटना की जोड़ की सभी एपीफाइसिस संबंधित हड्डियों से जुड़ी नहीं पायी गयी तथा दाहिनी कोहिनी के जोड़ की मीडियल एपी कण्डाइल को छोड़कर सभी एपीफाइसिस संबंधित हड्डियों से जुड़ी पायी गयी। एक्स—रे प्लेट शामिल पत्रावली है एवं एक्स—रे रिपोर्ट भी शामिल पत्रावली है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर पीड़िता का निशानी अंगूठा लगा है, जो उसके द्वारा प्रमाणित है। एक्स—रे रिपोर्ट पर प्रदर्श क—5 डाला गया एवं एक्स—रे प्लेट पर वस्तु प्रदर्श—1 डाला गया।

16— अभियोजन साक्षी सं0—5 मुमताज अहमद रिटायर्ड हे0कॉ0 ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनॉकित—19.10.2023 में सशपथ कथन किया है कि दिनॉक—05.11.2011 को वह बतौर हे0कॉ0 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी उचौलिया थाना पसगवां पर तैनात था। उस दिन उसकी ड्यूटी थाना कार्यालय पर थी। शराफत एक हस्तलिखित प्रार्थना—पत्र लेकर चौकी पर आये थे। चौकी इंचार्ज के मौखिक आदेश पर उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट शामिल पत्रावली है, जिस पर हस्ताक्षर बने हैं, जिस पर प्रदर्श क—7 डाला गया। इस मुकदमें का खुलासा उसने मु0अ0सं0—2313/2011 धारा—354, 504, 506 भा0द0सं0 में जी0डी0 नं0—12 समय 13:15 बजे करायमी के माध्यम से किया था। कायमी शामिल पत्रावली है, जिसे वह आज प्रमाणित करता है, जिस पर प्रदर्श क—8 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

17— अभियोजन साक्षी सं0—6 उपनिरीक्षक सुनील कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनॉकित—29.01.2025 में सशपथ कथन किया है कि दिनॉक—05. 11.2011 को वह थाना पसगवां में चौकी प्रभारी उचौलिया के पद पर कार्यरत था, उसी दिनॉक को मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उसके द्वारा ग्रहण की गयी थी। चौकी कार्यालय से मुकदमा उपरोक्त की नकल चिक, नकल रपट

प्राप्त किया था। उसी दिनॉक को नकल चिक, नकल रपट अवलोकन कर नकल सी0डी0 किया था। मुकदमा वादी शराफत का बयान लिया था। दिनॉक–06.11.2011 को पीड़िता की डाक्टरी रिपोर्ट प्राप्त हुयी थी, जिसकी नकल सी0डी0 की गयी थी। दिनॉक–07.11.2011 को पीड़िता को उसके माता–पिता की सुपुर्दगी में दे दिया गया था और मौके पर ही पीड़िता और उसके माता–पिता की हस्ताक्षर सुपुर्दगीनामा पर करवाकर दे दिया गया था, जो शामिल पत्रावली है, उसके सामने है, उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–2 अंकित है। दिनॉक–12.11.2011 को पूरक परीक्षण रिपोर्ट व पैथालॉजी रिपोर्ट की नकल सी0डी0 की थी तथा पीड़िता का बयान अंकित किया गया था एवं मुकदमा वादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण उसके द्वारा किया गया था, जो शामिल पत्रावली है, उसके सामने है, उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया है तथा गवाह श्रीमती अबरीना, श्री समसड़ी, आरिफ व अबरार अहमद का बयान अंकित किया गया था। दिनॉक–12.11.2011 को अभियुक्त सज्जाद व रियात की गिरफ्तारी कर बयान लिया गया था। दिनॉक–12.11.2011 को ही पीड़िता द्वारा बताया गया कि वह कण्डा पाथने कण्डौर गयी थी। घने कोहरे के कारण कुछ दिखायी नहीं पड़ रहा था। गॉव के ही सज्जाद ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था और रिजवान ने पीड़िता का मुॅह दबाया था। यह बात पीड़िता ने उसे अपने बयानों में बताया था, जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा–376 भा0द0स0 की वृद्धि की गयी थी। प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सिंह सेंगर के द्वारा अग्रिम विवेचना उनको स्थानान्तरित की गयी थी। पत्रावली में शामिल नक्शा नजरी कागज सं0–क8 गवाह को दिखाया गया, गवाह ने देखकर यह बताया कि यह नक्शा नजरी जितेन्द्र सिंह सेंगर प्रभारी निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया है तथा पत्रावली में शामिल आरोप–पत्र गवाह को दिखाया गया, गवाह ने देखकर बताया कि यह आरोप–पत्र थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र सिंह सेंगर के द्वारा तैयार किया गया था, उनके लेख व हस्ताक्षर में है, शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया है। वह उनके साथ नियुक्त रहा है, वह उनके लेख व हस्ताक्षर को भली–भॉति जानता व पहचानता है, जिसको आज वह तस्दीक कर रहा है।

18– अभियोजन साक्षी सं0–7 निरीक्षक जितेन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनॉकित–06.10.2025 में सशपथ कथन किया है कि सरकार बनाम सज्जाद आदि, मु0अ0सं0–2313/2011 धारा–376, 504, 506 भा0द0सं0 से

संबंधित एफ0एस0एल0 रिपोर्ट दिनॉक–05.09.2025 को सील बंद लिफाफे में उसे थाना कार्यालय पसगवां से प्राप्त हुयी, जिसकी उसके द्वारा नकल एस0सी0डी0 की गयी। एफ0एस0एल0 रिपोर्ट के खोलकर एस0सी0डी0 के साथ न्यायालय के यहॉ भेजा गया। इस मुकदमें की एफ0एस0एल0 रिपोर्ट उसे जिस स्थिति में मिली थी, उसको खोलकर बिना किसी छेड़छाड़ के प्रस्तुत किया गया है। एफ0एस0एल0 रिपोर्ट शामिल पत्रावली है, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया।

19– अभियोजन साक्षी सं0–8 आबरीना उर्फ शहनाज ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनॉकित–17.04.2026 में सशपथ कथन किया है कि उसके मायके में जानवर पले थे। वह शराफत की लड़की के साथ में गोबर लेकर नहीं गयी थी। उसने पीड़िता के चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी थी और न ही वह आवाज सुनकर कहीं गयी थी। उसने पीड़िता के फटे कपड़े भी नहीं देखे थे। उसने पीड़िता को रोते हुये भी नहीं देखा था। सज्जाद व रिजवान जो उसके गॉव के रहने वाले हैं, उसने इन लोगों को पीड़िता के साथ गलत काम करते हुये नहीं देखा था।

20– अभियोजन साक्षी सं0–9 कमरजहॉ ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनॉकित–01.05.2026 में सशपथ कथन किया है कि घटना के समय वह कण्डा पथ्ने नहीं जाती थी और न ही वह प्रतिदिन गोबर लेकर जाती थी। पीड़िता को उसने चिल्लाते हुये नहीं देखा था और न ही वह पीड़िता की कोई आवाज सुनकर कहीं गयी थी। पीड़िता के साथ कोई घटना नहीं हुयी थी। उसने पीड़िता को अस्त–व्यस्त कपड़ों में भी नहीं देखा था। पीड़िता ने उसके सामने अपना सलवार नहीं बांधा था।

<u>बचाव पक्ष के मौखिक साक्षी–</u>

21– डी0डब्लू0–1 अशफाक ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनॉक–04.11.2011 को वह पूरे दिन घर पर ही रहा था। ऊसर जमीन के पास ही उसका घर है व गॉव के और भी घर हैं। सब खुला हुआ है, कोई झाड़ नहीं है। शराफत की लड़की के साथ में 08:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक कोई घटना नहीं हुयी थी, क्योंकि उसका पड़ोस में ही मिला हुआ घर है और गॉव की और भी आबादी है। यदि कोई घटना होती तो उन लोगों को तुरन्त पत लग जाता। शराफत की सज्जाद व रिजवान के परिवार से दुश्मनी थी और उसी दुश्मनी के चलते रिजवान और सज्जाद को झूठी घटना बनवाकर जेल भिजवाया था जबकि उस दिन कोई घटना ही नहीं हुयी थी। सज्जाद और रिजवान के परिवार से सज्जाद की पुरानी रंजिश

है, जिसमें शराफत कई बार जेल गये थे। वह अदालत में सही बात बता रहा है।

<u>अभियोजन तर्क–</u>

22– दौरान बहस जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि, दिनॉक–04.11.2011 की सुबह करीब 08:00 बजे वादी मुकदमा की 12 वर्षीय पुत्री/पीड़िता घर के बाहर झाडू लगा रही थी तभी आपराधिक षड़यन्त्र के तहत अभियुक्तगण सज्जाद व रिजवान आ गए और गाली–गलौज करते हुए पीड़िता का पकड़ लिया और जबरदस्ती बलात्कार किया। पीड़िता के शोर पर पड़ोस की महिलाएँ आ गयी तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गए। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। यद्यपि की पी0डब्लू0–8 व पी0डब्लू0–9 ने अभियुक्तगण के प्रभाव में आकर अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया परन्तु अन्य शेष साक्षीगण के बयान से अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अभियुक्तगण द्वारा बलात्कार जैसा गंभीर अपराध कारित किया गया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

<u>बचाव पक्ष के तर्क–</u>

23– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किये कि, प्रश्नगत मामले की तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रश्नगत घटना दिनॉक–04.11.2011 की होना कही गयी है परन्तु पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–164 द0प्र0सं0 विलम्ब से दिनॉक–05.01.2012 को अंकित कराया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार प्रश्नगत घटना की चश्मदीद साक्षी पी0डब्लू0–8 व पी0डब्लू0–9 द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 तथा पीड़िता पी0डब्लू0–3 के बयानों में गंभीर विरोधाभाष है। चिकित्सीय परीक्षण आख्या में पीड़िता की योनि में कोई भी मृत अथवा जीवित शुक्राणु नहीं पाया गया है। यदि पीड़िता के साथ अभियुक्तगण द्वारा जबरन बलात्कार किया जाता तो उसके शरीर पर जबरदस्ती किये जाने के निशानात अथवा चोटें मौजूद होती, परन्तु चिकित्सीय आख्या में पीड़िता के शरीर पर कोई चोट दर्शित नहीं की गयी है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पीड़िता के कपड़ों पर कोई भी वीर्य नहीं पाया गया है, इसलिए अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता हैं। अभियुक्तगण को साजिश के तहत चुनावी रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले

को साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें दोषमुक्त किया जाए।

24— अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को को विस्तारपूर्वक सुनने के पश्चात् विरचित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में निम्नलिखित विनिश्चायक बिन्दु उत्पन्न होते हैं—

1—क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण सज्जाद तथा रिजवान के विरूद्ध आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा—120बी, 376, 504, 506 भा0द0सं0, को युक्तियुक्त ढंग से संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

25— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Rai Sandeep @ vs State of NCT of Delhi में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि—

> "15. In our considered opinion, the 'sterling witness' should be of a very high quality and caliber whose version should, therefore, be unassailable. The Court considering the version of such witness should be in a position to accept it for its face value without any hesitation. To test the quality of such a witness, the status of the witness would be immaterial and what would be relevant is the truthfulness of the statement made by such a witness. What would be more relevant would be the consistency of the statement right from the starting point till the end, namely, at the time when the witness makes the initial statement and ultimately before the Court. It should be natural and consistent with the case of the prosecution qua the accused. There should not be any prevarication in the version of such a witness. The witness should be in a position to withstand the cross- examination of any length and howsoever strenuous it may be and under no circumstance should give room for any doubt as to the factum of the occurrence, the persons involved, as well as, the sequence of it. Such a version should have co-relation with each and everyone of other supporting material such as the recoveries made, the weapons

used, the manner of offence committed, the scientific evidence and the expert opinion. The said version should consistently match with the version of every other witness. It can even be stated that it should be akin to the test applied in the case of circumstantial evidence where there should not be any missing link in the chain of circumstances to hold the accused guilty of the offence alleged against him. Only if the version of such a witness qualifies the above test as well as all other similar such tests to be applied, it can be held that such a witness can be called as a 'sterling witness' whose version can be accepted by the Court without any corroboration and based on which the guilty can be punished. To be more precise, the version of the said witness on the core spectrum of the crime should remain intact while all other attendant materials, namely, oral, documentary and material objects should match the said version in material particulars in order to enable the Court trying the offence to rely on the core version to sieve the other supporting materials for holding the offender guilty of the charge alleged."

26– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of Himachal Pradesh v. Asha Ram AIR 2006 SC 381 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

"5. It is now well-settled principle of law that conviction can be founded on the testimony of the prosecutrix alone unless there are compelling reasons for seeking corroboration. The evidence of a prosecutrix is more reliable than that of an injured witness. The testimony of the victim of sexual assault is vital, unless there are compelling reasons which necessitate looking for corroboration of her statement, the courts should find no difficulty in acting on the testimony of a victim of sexual assault alone to convict an accused where her testimony inspires confidence and is found to be reliable. It is also a well-settled principle of law that

corroboration as a condition for judicial reliance on the testimony of the prosecutrix is not a requirement of law but a guidance of prudence under the given circumstances. The evidence of the prosecutrix is more reliable than that of an injured witness. Even minor contradictions or insignificant discrepancies in the statement of the prosecutrix should not be a ground for throwing out an otherwise reliable prosecution case.”

27– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा State of Rajasthan vs Babu Meena, (2013) 4 SCC 206 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

"oral testimony can be classified into three categories, namely, (i) wholly reliable, (ii) wholly unreliable, and (iii) neither wholly reliable nor wholly unreliable. In case of wholly reliable testimony of a single witness, the conviction can be founded without corroboration. This principle applies with greater vigour in case the nature of offence is such that it is committed in seclusion. In case prosecution is based on wholly unreliable testimony of a single witness, the court has no option than to acquit the accused.

28– अभियोजन ने प्रश्नगत घटना को साबित करने के उद्देश्य से अभियोजन साक्षी के रूप में कुल चार साक्षियों को परीक्षित कराया है, जिनमें से तथ्य के साक्षी के रूप में वादी मुकदमा शराफत पी0डब्लू0–1 पीड़िता का पिता, पी0डब्लू0–3 पीड़िता, पी0डब्लू0–8 शहनाज तथा पी0डब्लू0–9 कमरजहॉं, जो कि पीड़िता के पड़ोसी हैं, परीक्षित कराये गये हैं।

29– वादी मुकदमा शराफत द्वारा प्रस्तुत तहरीर तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता की आयु 12 वर्ष अंकित है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 द0प्र0सं0 में भी अपनी उम्र 12 वर्ष बतायी है। अभियोजन द्वारा पीड़िता की आयु निर्धारित किये जाने के उद्देश्य से पीड़िता का नगर पालिका या नगर निगम, पंचायत द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र आदि कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण न्यायालय को पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर ही उसकी आयु का निर्धारण करना है।

30– इस स्तर पर उल्लेखनीय है कि, पीड़िता की बरामदगी के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था। मेडिकल परीक्षण प्रदर्श क–3, में डाक्टर ने पीड़िता की आयु निर्धारित किए जाने के संबंध में एक्स–रे कराये जाने की सलाह दी थी। उक्त सलाह पर जिला चिकित्सालय लखीमपुर में पीड़िता का एक्स–रे हुआ था तथा एक्स–रे आख्या तैयार की गयी थी, जिसे चिकित्सक डा0 वी0के0 वर्मा पी0डब्लू0–4 ने बतौर प्रदर्श क–5 व एक्स–रे प्लेट को बतौर वस्तु प्रदर्श–1, प्रमाणित करते हुये अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि एक्स–रे प्लेट के अनुसार पीड़िता की दाहिनी कलाई और दाहिना घुटना की जोड़ की सभी एपीफाइसिस संबंधित हड्डियों से जुड़ी नहीं पायी गयी तथा दाहिनी कोहिनी के जोड़ की मीडियल एपीकंडाइल को छोड़कर सभी एपीफाइसिस संबंधित हड्डियों से जुड़ी पायी गयी। इसके अतिरिक्त एक्स–रे रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता की पूरक चिकित्सीय आख्या तैयार करने वाली चिकित्सक डा0 पुष्पलता पी0डब्लू0–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, पीड़िता की रेडियोलॉजिकल आयु लगभग 15 वर्ष है। दौरान जिरह साक्षी ने कथन किया है कि, वह मोदी मेडिकल ज्यूरीप्रिडेन्स में उम्र में जो दोनों तरफ अन्तर निर्धारण किया गया है, उससे सहमत है। मोदी का विचारण इस केस पर भी लागू होता है।

31– रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर आयु निर्धारण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था जया माला बनाम होम सेक्रेटरी गर्वनमेंट ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर आदि, ए0आई0आर0 1982 एस0सी0 पृष्ठ 1297 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि उम्र में दो वर्ष का घटाव व दो वर्ष का जुड़ाव हो सकता है। इसी कम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था राजिन्दर चन्द्रा बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ आदि ए0आई0आर0 2002 एस0सी0 पृष्ठ 748 में आयु निर्धारण के संबंध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि साक्ष्य के आधार पर दो परिस्थितियॉ उत्पन्न होती हैं, तो न्यायालय को उस परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, जो अभियुक्त के पक्ष की हो। न्यायालय को आयु निर्धारण के संबंध में अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए।

32– प्रश्नगत घटना दिनॉक–04.11.2011, की है तथा पीड़िता की आयु निर्धारण हेतु ऑसीफिकेसन टेस्ट दिनॉक–07.11.2011, को सम्पन्न हुआ था, जिसमें पीड़िता की दाहिनी कलाई व दाहिने घुटने को छोड़कर दाहिनी कोहिनी के जोड़ों की सभी एपीफाइसिस, संबंधित हड्डियों से जुड़ी पायी गयी थी, जिसके आधार पर डाक्टर की राय के अनुसार एक्स–रे किए जाने की

दिनॉक पर पीड़िता की आयु 15 वर्ष आंकलित की गयी है, इसलिए न्यायालय, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर घटना के समय पीड़िता की आयु सोलह वर्ष से सत्तरह वर्ष के मध्य निर्धारित करती है। तद्नुसार न्यायालय, पीड़िता की आयु के संबंध में वादी व अन्य साक्षियों द्वारा दिया गया बयान, विश्वसनीय नहीं पाती है।

33— वादी मुकदमा पी0डब्लू0—1 ने अपनी तहरीर प्रदर्श क—1 में इस आशय के कथन अंकित किये हैं कि दिनॉक—04.11.2011 की सुबह करीब 08:00 बजे उसकी 12 वर्षीय लड़की घर के बाहर झाडू लगा रही थी, वहीं सज्जाद और रिजवान आ गए और गाली—गलौज कर उसकी लड़की को जबरदस्ती पकड़ लिया और गुण्डा—गर्दी कर उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगे, जब उसकी लड़की ने शोर मचाया तो वहीं पड़ोस की दो महिलाएँ आ गयी, जिन्होने उसकी लड़की को छुड़ाया और अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।

34— वादी मुकदमा पी0डब्लू0—1 रियासत ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनॉकित—04.04.2014 में तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क—1 को प्रमाणित करते हुये कथन किया है कि लगभग सवा दो साल पहले सुबह 08:00 बजे सज्जाद एवं रिजवान उसकी लड़की जो सहन में गोबर पाथ रही थी, वहीं से उठाकर ले गये, उस समय उसकी लड़की बारह साल की थी, उसकी लड़की आधा घण्टा बाद वापस आयी थी तब उसने बताया था कि सज्जाद एवं रिजवान ने उसके साथ बुरा काम किया, जिसकी सूचना उसने पुलिस चौकी उचौलिया में दूसरे दिन दी थी, तहरीर उसने चौकी के बाहर एक व्यक्ति, जो दरखास्त लिखता है, से लिखायी थी। तहरीर में उसने अपनी लड़की के साथ बुरा काम करने वाली बात नहीं लिखायी थी, सिर्फ छेड़छाड़ करने वाली बात लिखायी थी, क्योंकि शर्म लिहाज के कारण तथा लड़की की इज्जत की वजह से उसके साथ बुरा काम करने वाली बात नहीं लिखायी थी। दौरान जिरह साक्षी ने पृष्ठ—7 पर कथन किया है कि इस मुकदमें की रिपोर्ट उसने लिखायी थी, जिस दिन की घटना है, उस दिन वह अपने घर पर था, उसने घटना स्वयं नहीं देखी है, लड़की ने जो बताया, वही उसने रिपोर्ट में लिखाया था। रिपोर्ट में जो उसकी लड़की ने बताया वही उसने लिखाया था, वही सच है। इसी पृष्ठ पर आगे कथन किया है कि रिपोर्ट में लड़की के साथ बलात्कार वाली बात उसने लिखायी थी, यदि बलात्कार वाली बात रिपोर्ट में न लिखी हो तो वह इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। दौरान जिरह पृष्ठ—8 पर साक्षी ने कथन किया है कि उसके मकान से लगभग 100

कदम की दूरी पर पूरब उसके कण्डे पाथे जाते हैं। उसके घर के पूरब तरफ 100 कदम पर उसका सहन है, जिस पर कण्डा पाथे जाते हैं, यह बात उसने रिपोर्ट में लिखायी थी। यह बात उसने दरोगा जी को नहीं बतायी थी। उसे यह याद नहीं है कि उसने अदालत में अपने बयान में यह बात बतायी थी या नहीं। यह कहना गलत है कि उसके घर के पूरब तरफ 100 कदम पर उसका सहन न हो। आगे पृष्ठ–9 पर साक्षी ने कथन किया है कि जब दरोगा जी आये थे तब वहाॅ कण्डा पथे रखे थे, कण्डा पाथने के लिए बाल्टी, पानी व झउवा की आवश्यकता होती है। दरोगा जी को झउवा घटनास्थल पर नहीं मिला था। जहाॅ पर गोबर गिरा था, वह दरोगा जी ने देखा था। <u>दौरान जिरह</u> पृष्ठ–10 पर साक्षी ने कथन किया है कि घटनास्थल से वीरेन्द्र सिंह तीन किलोमीटर पर रहते हैं। वीरेन्द्र सिंह चुनाव में उसके यहाॅ वोट मांगने आते हैं फिर वह गॉव में वीरेन्द्र सिंह के साथ वोट मांगने जाता था। वीरेन्द्र सिंह के खिलाफ अशोक कुमार ने चुनाव लड़ा था। अशोक कुमार जो चुनाव वीरेन्द्र से हार गये थे। आगे कथन किया है कि इससे उसकी व सज्जाद के परिवार से रंजिश थी। यह रंजिश घटना से पहले थी। थाना उसके यहाॅ से 15–18 किलोमीटर दूर है। उसका थाने में आना–जाना बना रहता था। जब वह घटना के बाद लड़की को लेकर थाने गया तो दरोगा ने देखा कि उसकी लड़की के शरीर में जगह–जगह कटे का घाव है और उनमें से खून निकल रहा है। जब दरोगा जी ने उसकी लड़की को देखा तो कटे हुये चोटों से जो खून निकल रहा था, वह कपड़ो पर लगा था फिर लड़की से उन्होने पूॅछताछ की थी फिर दरोगा जी ने थाने में एक कागज लिखा, उस पर लड़की का अंगूॅठा लगवा लिया और कहा कि रिपोर्ट लिख गयी। प्रदर्श क–1 पढ़कर सुनाया गया तो उसने बताया कि यह कागज दरोगा जी ने थाने में स्वयं लिख लिया था, उसमें क्या लिखा था वह उसे नहीं मालुम तथा प्रदर्श क–1 पर उसकी लड़की का निशानी अंगूॅठा लगा लिया था, क्योंकि पुलिस ने प्रदर्श क–1 पढ़कर नहीं सुनाया था। आगे पृष्ठ–11 पर साक्षी ने कथन किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर को देखकर कहा कि यह दरोगा जी ने स्वयं लिखी थी, इसमें क्या लिखा था, यह मालुम नहीं है। घटना की बाबत उसे सूचना नहीं थी। ऐसा नहीं है कि आज वह उपरोक्त सभी बाते झूठ बोल रहा है। इसी पृष्ठ पर आगे कथन किया है कि यह सही है कि दुश्मनी के कारण घटना बनायी थी। ऐसा नहीं है कि यह बात वह झूठ बोल रहा है। <u>दौरान जिरह</u> पृष्ठ–12 पर साक्षी ने कथन किया है कि गोबर, एक झउवा लेकर के गयी थी, झउवा सर के ऊपर रखा हुआ

था। झउवा को उसकी बीबी ने गोबर सहित उठवाकर उसकी लड़की के सिर पर रखवाया था। ऐसा नहीं है कि यह बात वह झूठ बोल रहा है। उसकी लड़की गोबर सिर पर रखकर दो–चार कदम चली। ऐसा नहीं है कि यह बात वह झूठ बोल रहा है। दौरान जिरह पृष्ठ–13 पर साक्षी ने कथन किया है कि झाडू लगाना और सिर पर गोबर लेकर चलना अलग–अलग बात है। उसकी लड़की घटना वाले दिन झाडू नहीं लगा रही थी। ऐसा नहीं है कि उक्त बात वह झूठ बोल रहा है। यह बात उसने पुलिस के बयानों में नहीं बतायी थी, कैसे लिख गयी, नहीं पता। जब लड़की को पकड़ा तो बीबी उसकी चिल्ला पड़ी। गॉव के बहुत से लोग आ गए तथा लड़की को वहीं से उठाकर घर ले आए। लड़की की मॉ भी मय गोबर झउवा के उठाकर लायी थी। गोबर उठवाकर सिर पर रखने के बाद मॉ बराबर लड़की के साथ रही। ऐसा नहीं है कि आज वह यह बात गलत कह रहा है।

35– वादी मुकदमा शराफत पी0डब्लू0–1 के सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी प्रश्नगत घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है। इस साक्षी ने एक तरफ तो अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में पीड़िता द्वारा घ टनास्थल पर झाडू लगाने का कथन अंकित किया है, वहीं दूसरी ओर अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में पीड़िता द्वारा कण्डे पाथने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को पकड़ लिए जाने पर पीड़िता की मॉ द्वारा शोर किये जाने का भी कथन किया है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि तहरीर प्रदर्श क–1 दरोगा जी द्वारा लिखे जाने का कथन किया है तथा स्वयं द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना देखे जाने से इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा द्वारा अपनी साक्ष्य में किये गये कथनों के आलोक में अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है।

36– इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पीड़िता पी0डब्लू0–3 ने अपनी मुख्य परीक्षा दिनॉकित–16.05.2018 में, सशपथ कथन किया है कि घटना आज से साढ़े छः वर्ष पूर्व सुबह 08:00 बजे की है। उस समय वह गॉव के बाहर कण्डा पाथने के लिए गोबर लेकर जा रही थी। उस समय कोहरा पड़ रहा था। उसी समय गॉव के दो लड़के सज्जाद और रिजवान आ गए तभी कोहरे का फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया और सज्जाद ने उसके साथ बलात्कार किया। सज्जाद ने जबरदस्ती उसकी सलवार खोलकर उसने अपनी पेशाब की नली उसकी पेशाब की जगह घुसेड़ दिया तथा रिजवान गॉव के आने–जाने वालों की निगरानी कर रहे थे। उसके बाद रिजवान ने उसके

साथ जबरदस्ती बुरा काम किया और सज्जाद तकवाही कर रहा था और सज्जाद व रिजवान गंदी–गंदी गालियॉ व जान से मार देने की धमकी दे रहे थे, कहा कि शोर मचाओगी तो जान से मार देंगे तभी गॉव के अबरीना व मसंदी आ गए तो मुल्जिमान जान से मार देने की धमकी देते हुये भाग गए थे। उसने माता–पिता को सारी बाते बतायी थी। उसे उचौलिया चौकी ले गए थे, जहॉ रिपोर्ट लिखायी थी। घटना के समय उसकी उम्र 14 वर्ष थी। दरोगा जी उसे महिला चिकित्सालय ले गये थे, जहॉ उसका परीक्षण हुआ था। फिर उसे महिला कॉ0 के साथ अदालत लाये थे और उसका बयान हुआ था। धारा–164 द0प्र0सं0 का बयान शामिल पत्रावली साक्षी को पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया था, इस पर उसके दस्तखत हैं व फोटो लगी है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। उसने मजिस्ट्रेट व दरोगा जी को रिजवान के द्वारा भी बलात्कार करने की बात बतायी थी। हाजिर अदालत मुल्जिम को साक्षी ने देखकर कहा कि सज्जाद व रिजवान न्यायालय में उपस्थित हैं, इन्होने ही उसके साथ बारी–बारी से बुरा काम किया था। दौरान जिरह साक्षी ने पृष्ठ–3 पर कथन किया है कि उसके गॉव में नत्थू रहते थे, जो रिश्तो में उसके बाबा लगते थे, उनका घर भी उसके पड़ोस में ही है। घटना के समय उसके अब्बा व नत्थू दोनों भैंसे चराने नहीं गये हुये थे। भैंसे उस समय खूंटे में ही बंधी थी। उस दिन उसके पिता भैंसे चराने नहीं गये थे, घर पर ही रहे थे। अम्मा भी घर पर रही थी। उसने चाय बनायी थी और उसके मॉ, बाप चाय पी रहे थे। जब अम्मा, अब्बा चाय पी रहे थे, उसी समय हो–हल्ला हुआ था, घटना के समय जब चिल्लायी तो आबदीन, मुशर्रफ और हफीजुल्ला आ गये थे और उसकी खोपड़ी पर गोबर से भरा हुआ झउवा सब लोगों ने रोक लिया था, जमीन पर गिरने नहीं दिया था तब वह चिल्लाती हुये घर की तरफ भागी। गोबर का झउवा जब उठाया था तब उसकी अम्मा व अब्बा ने उठवाकर उसके सिर पर रखवाया था। वह गोबर उठाकर दो–चार ही कदम चली थी, तभी तुरन्त शोर होने लगा था। जब वह चिल्लायी थी तब उसके अम्मा–अब्बा दोनों पीछे ही खड़े थे। यह कहना गलत है कि आज उसने जिरह में जो बाते बतायी हैं, वह झूठी हो। दौरान जिरह पृष्ठ–4 व 5 पर साक्षी ने कथन किया है कि वह नहीं जानती कि उसके अब्बा ने रिपोर्ट में क्या लिखाया था। वह अपने अब्बा के साथ चौकी रिपोर्ट लिखाने गयी थी। थाने पर पुलिस वालों ने उससे व अब्बा से अलग–अलग पूछा था कि क्या हुआ था। जो उसने पुलिस वालों को बताया था, वह सब वे लिखते गये थे।

लिखने के बाद पुलिस वालों ने उसी कागज पर उसका अंगूठा लगवा लिया था, अंगूठा लगवाने के बाद उसकी रिपोर्ट लिखी गयी थी। साक्षी को जब तहरीर प्रदर्श क–1 पढ़कर सुनाया गया तो कहा कि यही सब उसने अपनी रिपोर्ट में लिखाया था, जिस पर उसका निशानी अंगूठा लगा है। ऐसा नहीं है कि यह बाते झूठी हो। यही बयान उसने मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भी दिया था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श क–1 वाली बात और मजिस्ट्रेट के यहॉ दिया गया बयान दोनों झूठे हो। दौरान जिरह पृष्ठ–6 पर साक्षी ने कथन किया है कि उसके घटना में जो चोटें आयी थी, उसके निशान दरोगा जी ने देखे थे। उसने वह निशान डाक्टर साहब को भी दिखाये थे। इन चोटों से खून नहीं निकला था। उसकी डाक्टरी घटना के अगले दिन हुयी थी या नहीं, अब यह याद नहीं है। डाक्टरी के समय महिला डाक्टर ने उसका पूरा शरीर देखा था। यह कहना गलत है कि घटना में उसे कोई चोट न आयी हो।

37— पीड़िता द्वारा अपनी साक्ष्य में किये गये कथनों के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–164 द0प्र0सं0 प्रदर्श क–5 का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 द0प्र0सं0 में कथन किया है कि ''घटना आज से लगभग दो माह पूर्व की है। सुबह लगभग 08:00 बजे मैं तलिया के पास ऊसर में गोबर डालने गयी थी, उस समय घना कोहरा था। जब मैं गोबर डालने के लिए थोड़ा झुकी तो सज्जाद व रिजवान ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और वे दोनों मुझे लगभग 100 कदम घसीटकर पैरा पर ले गये और पैरा पर मुझे गिरा दिया। रिजवान ने मेरा गला पकड़कर मुॅह दाब दिया था क्योंकि मैं चिल्ला रही थी। सज्जाद ने मेरा सलवार जबरदस्ती उतार दिया और मेरे साथ जबरदस्ती अपना लिंग मेरी योनि में घुसेड़कर बलात्कार किया। रिजवान ने मुझे पकड़कर मेरा गला व मुॅह दबाया था और बलात्कार में सहयोग किया था। बलात्कार करने के समय ही शमसदी, अबरीना, कमरजहॉ, नसीम आये, इन्हें देखकर सज्जाद व रिजवान भाग गये और जाने से पूर्व मुझसे कहे कि अपने मॉ–बाप से बताओगी तो जान से मार देंगे। मैं रोते हुये अपने घर आयी और सारी बात अपनी मॉ से बतायी। मेरे पिता जी रिपोर्ट लिखाये।''

38— उक्त के अतिरिक्त पीड़िता की आघात आख्या प्रदर्श क–3, जिसे साक्षी पी0डब्लू0–2 द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रमाणित किया गया है, में पीड़िता के शरीर के किसी भाग पर कोई चोट न पाये जाने का कथन अंकित है। इस प्रकार पीड़िता द्वारा मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा तथा बयान अन्तर्गत धारा–164

द0प्र0सं0 में किये गये कथनों का एक–साथ विवेचन करने यह यहीं स्पष्ट होता है कि धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान में पीड़िता ने मात्र अभियुक्त सज्जाद द्वारा बलात्कार किये जाने का कथन किया है तथा मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण सज्जाद एवं रिजवान दोनों द्वारा बलात्कार किये जाने का कथन किया गया है। पीड़िता ने अपनी जिरह के पृष्ठ–3 पर स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना के समय जब चिल्लायी तो आबदीन, मुशर्रफ और हफीजुल्ला आ गये थे तथा धारा–164 द0प्र0सं0 के बयान में कथन किया है कि बलात्कार करने के समय ही शमसदी, अबरीना, कमरजहॉ व नसीम आ गए थे, जो अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाता है।

39– उक्त के अतिरिक्त पीड़िता ने अपनी मुख्य साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा बलात्कार किये जाने का कथन किया है। जहॉ तक पीड़िता द्वारा अपनी साक्ष्य में किये गये उपरोक्त कथन की सत्यता का प्रश्न है। इस संबंध में पीड़िता के चिकित्सीय प्रपत्रों का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–3 के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनॉक–05.11.2011 को ही 08:00 पी0एम0 पर महिला चिकित्सालय लखीमपुर–खीरी में डा0 पुष्पलता पी0डब्लू0–2 द्वारा किया गया था, जिसमें पीड़िता का हाइमन पुराना फटा व भरा हुआ होने का उल्लेख है। पीड़िता के वैजाइनल स्वैब पैथॉलॉजी परीक्षण के लिए संग्रहित करके पैथोलॉजी विभाग भेजा गया था। पूरक आघात आख्या प्रदर्श क–4 में No Spermatozoa seen dead or alive on dated 08-11-2011 उल्लिखित है। अभियोजन की ओर से डा0 यामिनी बादल को बतौर पी0डब्लू0–2 न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आंतरिक परीक्षण में कोई चोट के निशान नहीं थे। आंतरिक परीक्षण में योनि में दो उंगली आसानी से जा रही थी, जिसका हाइमन पुराना फटा व भरा हुआ था, जिसमें कोई भी रक्तश्राव मौजूद नहीं था। पीड़िता की पूरक आख्या दिनॉक–11.11.2016 को उनके द्वारा तैयार की गयी थी। पैथोलॉजी रिपोर्ट में कोई भी जीवित या मृत शुक्राणु नहीं पाये गये। उक्त के अतिरिक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श क–2, के अनुसार दौरान विवेचना विवेचक द्वारा स्वतंत्र गवाहान रामचन्द्र व अखिलेश के समक्ष पीड़िता द्वारा घटना के समय पहने हुये कपड़ो को कब्जा पुलिस में लिये गये थे, जिसे परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श क–12 के अनुसार पीड़िता के सलवार व कुर्ता पर शुक्राणु अथवा मानव वीर्य नहीं पाया गया। इस प्रकार उपरोक्त

चिकित्सीय प्रपत्रों एवं चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू0–2 डा0 पुष्पलता के बयानों से पीड़िता के साथ बलात्कार जैसे कथनों पर संदिग्धता उत्पन्न होती है।

40– उपरोक्त के अतिरिक्त पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–164 द0प्र0सं0 में बलात्कार करने के समय ही शमसदी, अबरीना, कमरजहॉ व नसीम के आ जाने का कथन किया है। अभियोजन की ओर से अबरीना बतौर पी0डब्लू0–8 व कमरजहॉ को बतौर पी0डब्लू0–9 परीक्षित कराया गया है। पी0डब्लू0–8 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सज्जाद व रिजवान जो उसके गॉव के रहने वाले हैं, उसने इन लोगों को पीड़िता के साथ गलत काम करते हुये नहीं देखा था। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से की गयी जिरह में पृष्ठ–3 पर साक्षी ने कथन किया है कि वह शराफत को जानती है। शराफत की रिजवान और सज्जाद से चुनावी रंजिश थी और कई बार झगड़ा हो चुका था तथा रिजवान और सज्जाद के परिवार से शराफत का जमीन का भी विवाद चल रहा था और आपस में दोनों लोगों की जानी दुश्मनी थी, इसलिए शराफत ने रिजवान और सज्जाद को झूठी घटना बनाकर फंसाने के लिए मुकदमा लिखाया था। घटना पूर्ण रूप से फर्जी है। वह उस दिन पूरे दिन घर पर ही रही थी। शराफत का घर उसके पास ही है। शराफत की लड़की का पीड़िता है, वह गोबर लेकर कण्डा पाथने के लिए नहीं गयी थी और न ही वह कण्डा पाथने के लिए जाती थी। दिनॉक–04.11.2011 को 08:00 बजे सुबह सज्जाद और रिजवान ने पीड़िता के साथ में बलात्कार नहीं किया था, यह पूर्ण रूप से झूठ है। वह सोच समझकर बिना किसी जोर दबाव, भय व लालच के सही बयान अदालत में दे रही है जबकि शराफत उसके परिवार के चचेरे चाचा हैं।

41– इसी प्रकार पी0डब्लू0–9 कमरजहॉ ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पीड़िता को उसने चिल्लाते हुये नहीं देखा था और न ही पीड़िता की कोई आवाज सुनकर कहीं गयी थी। पीड़िता के साथ कोई घटना नहीं हुयी थी। उसने पीड़िता को अस्त–व्यस्त कपड़ों में भी नहीं देखा था। पीड़िता ने उसके सामने अपना सलवार नहीं बांधा था। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में साक्षी ने पृष्ठ–3 पर कथन किया है कि वह शराफत को जानती है और वह शराफत की लड़की को भी जानती है, ये सब लोग उसके परिवार के हैं। दिनॉक–04.11.2011 को समय करीब 08:00 बजे सुबह कोई घटना नहीं हुयी थी और कथित घटना पूर्ण रूप से फर्जी है। ताज मोहम्मद के घर के पास में ही उसका भी घर है तथा वह दिनॉक–04.11.2011 को पूरे दिन घर पर रही थी और ताज मोहम्मद के

पुवाल के पास में चारों तरफ से मकान बने हुये थे, जहॉ पर काफी लोग रहते थे और वहॉ पर काफी आबादी थी। शराफत की सज्जाद व रिजवान के परिवार से जमीनी दुश्मनी थी और इनके बीच कई बार मारपीट भी हो चुकी थी, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें भी आयी थी और इसी रंजिश के कारण यह झूठी घटना बनाकर शराफत ने सज्जाद व रिजवान को झूठा फंसा दिया था।

42– उपरोक्त के अतिरिक्त अभियुक्तगण की ओर से परीक्षित डी0डब्लू0–1 अशफाक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनॉक–04.11.2011 को वह पूरे दिन घर पर ही रहा था। ऊसर जमीन के पास ही उसका घर है व गॉव के और भी घर हैं। सब खुला हुआ है, कोई झाड़ नहीं है। शराफत की लड़की के साथ में 08:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक कोई घटना नहीं हुयी थी, क्योंकि उसका पड़ोस में ही मिला हुआ घर है और गॉव की और भी आबादी है। यदि कोई घटना होती तो उन लोगों को तुरन्त पत लग जाता। शराफत की सज्जाद व रिजवान के परिवार से दुश्मनी थी और उसी दुश्मनी के चलते रिजवान और सज्जाद को झूठी घटना बनवाकर जेल भिजवाया था जबकि उस दिन कोई घटना ही नहीं हुयी थी। सज्जाद और रिजवान के परिवार से सज्जाद की पुरानी रंजिश है, जिसमें शराफत कई बार जेल गये थे। वह अदालत में सही बात बता रहा है।

43– जहॉ तक अभियोजन की ओर से परीक्षित पी0डब्लू0–8 अबरीना, पी0डब्लू0–9 कमरजहॉ तथा बचाव साक्षी डी0डब्लू0–1 द्वारा अपनी–अपनी साक्ष्य में किये गये कथनों की सत्यता का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा शराफत द्वारा दौरान जिरह पृष्ठ–11 पर स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि यह सही है कि दुश्मनी के कारण घटना बनायी थी। ऐसा नहीं है कि यह बात वह झूठ बोल रहा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण ने भी अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 द0प्र0सं0 में कथन किया है कि चुनावी रंजिश थी, घटना से पहले थी। इसी रंजिश के कारण उनको झूठी, फर्जी घटना दिखाकर एफ0आई0आर0 की गयी थी, इसीलिए शराफत व पीड़िता ने अदालत में झूठा बयान दिया है।

44– उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 शराफत घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रश्नगत घटना की पीड़िता द्वारा अलग–अलग स्तर पर विरोधाभाषी कथन किये गये हैं। प्रश्नगत घटना प्रातः 08:00 बजे की होना कही गयी है परन्तु घटना के जो भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये है,

उन्होने अभियोजन कथानक को तिरस्कृत कर दिया है, बल्कि अभियुक्तगण के पक्ष में ही साक्ष्य दिया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्यानुसार पीड़िता के कपड़ों पर मानव वीर्य अथवा कोई भी शुक्राणु नहीं पाया गया है। प्रश्नगत घटना में अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र के तहत पीड़िता को घसीटकर दूर ले जाकर बलात्कार किया जाना कहा गया है परन्तु चिकित्सीय परीक्षण आख्या में पीड़िता के शरीर पर जोर जबरदस्ती किये जाने संबंधी किसी प्रकार की चोट इत्यादि नहीं पायी गयी है, जो कि अस्वाभाविक प्रतीत होता है। दौरान चिकित्सीय परीक्षण पीड़िता की योनि में कोई भी मृत अथवा जिंदा शुक्राणु भी नहीं पाया गया है।

45– बचाव पक्ष की ओर से दाखिल विधि व्यवस्था **Motilal Yadav and others Vs. State of U.P. Criminal Appeal No. 760 & 841 of 1982** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यह नहीं कहना है कि न्यायालय अभियुक्त को केवल पीड़िता के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं कर सकता, बल्कि इस तथ्य के प्रति सचेत है कि पीड़िता का एक साक्ष्य स्वयं अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है किन्तु परिसाक्ष्य को आधार योग्य और विश्वसनीय होना चाहिए। कोई दोषसिद्धि केवल, अभियोजन कथन के कारण नहीं की जा सकती।

46– उक्त के अतिरिक्त यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि **राजू एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 15 एस0सी0सी0 133** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हालांकि अभियोजन के साक्ष्य पर आमतौर पर विश्वास किया जाना चाहिए और उस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इसे यौन उत्पीड़न के हर मामले में यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार **एच0पी0 प्रशासन बनाम ओमप्रकाश ए0आई0आर0 1972 एस0सी0 पृष्ठ 975** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आपराधिक मामलों में अभियुक्त को तब तक सजा नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि अभियुक्त का जुर्म सभी संदेहों से परे (Beyond all reasonable doubts) साबित नहीं हो जाता, अर्थात् यदि न्यायालय को थोड़ा सा भी संदेह (slightes doubt) रह जाता है कि शायद अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है, तो न्यायालय अभियुक्त को संदेह का लाभ (benefit of doubt) दे कर रिहा कर सकती है।

47– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य तथा माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में

प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 120बी, 376, 504, 506 भा0दं0सं0 की विशिष्टियों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ प्रदान करते हुये, दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

(i) अभियुक्तगण सज्जाद तथा रिजवान को, आरोप अंतर्गत धारा 120बी, 376, 504, 506 भा0दं0सं0 से संदेह का लाभ प्रदान करते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

(ii) अभियुक्तगण सज्जाद व रिजवान जेरे जमानत न्यायालय में उपस्थित हैं, उनके जमानतनामे एवं बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं। जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

(iii) अभियुक्तगण उपरोक्त धारा 481 बी0एन0एस0एस0, के प्राविधानों के अन्तर्गत एक–एक प्रतिभू एवं स्वबन्ध पत्र मु0–50,000–50,000/–रूपये का इस आशय का प्रस्तुत करें कि वे इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होंगे।

(शिव कुमार सिंह)
दिनॉक–10.06.2026 सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एंव दिनांकित करके सुनाया गया।

(शिव कुमार सिंह)
दिनॉक–10.06.2026 सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.12 12:03:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court